भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 335

9 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी

335. श्री जावेद अली खान:

श्री राम नाथ ठाकुर:

श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान या अधिक से अधिक संसद के अगले बजट सत्र तक सभी कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला एक विधेयक लाएगी/पुर:स्थापित करेगी जैसाकि 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा को आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): सरकार ने जुलाई, 2022 में अधिसूचना सं. 3053 दिनांक 18.07.2022 (प्रति संलग्न) के माध्यम से एक समिति का गठन किया है जिसमें किसानों, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि शामिल हैं। समिति को देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके; प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए; फसल के पैटर्न को बदला जाए। समिति की बैठकें उसे सौंपे गए विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237329
CG-DL-E-18072022-237329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3053] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944
No. 3053] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 जुलाई, 2022

का.आ. 3211(अ).—माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा, "जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बदलने, एम.एस.पी. को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन। इस समिति में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे", के अनुक्रम में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है-

समिति

1. अध्यक्ष

श्री संजय अग्रवाल (पूर्व कृषि सचिव)

2. सदस्य नीति आयोग (कृषि)

श्री रमेश चंद

3. **कृषि अर्थशास्त्री**

(i) डॉ सी.एस.सी. शेखर (भारतीय आर्थिक विकास संस्थान)

(ii) डॉ सुखपाल सिंह (आई०आई०एम०, अहमदाबाद)

4. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान

(i) श्री भारत भूषण त्यागी

5. किसानों के प्रतिनिधि

(i) संयुक्त किसान मोर्चा से तीन सदस्य (नाम आने पर जोड़े जाएंगे)

(ii) अन्य किसान संगठनों से सदस्य

- श्री गुणवंत पाटिल
- श्री कृष्णवीर चौधरी
- श्री प्रमोद कुमार चौधरी
- श्री गुणी प्रकाश
- श्री सैय्यद पाशा पटेल

6. किसान सहकारिता/समूह के प्रतिनिधि

(i) श्री दिलीप संघानी, चेयरमैन इफको

(ii) श्री बिनोद आनंद, महासचिव सीएनआरआई

7. सीएसीपी के वरिष्ठ सदस्य

श्री नवीन पी. सिंह

8. कृषि विश्वविद्यालय/संस्था के वरिष्ठ सदस्य

(i) डॉ पी. चंद्रशेखर, महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान (मैनेज)

(ii) डॉ जे.पी. शर्मा, कुलपति, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू

(iii) डॉ प्रदीप कुमार बिसेन, कुलपति, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

9. भारत सरकार के प्रतिनिधि

(i) सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(ii) सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक (भा.कृ.अनु.प.)

(iii) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(iv) सचिव, सहकारिता मंत्रालय

(v) सचिव, वस्त्र मंत्रालय

10. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, कर्नाटक

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, आंध्र प्रदेश,

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, सिक्किम

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, ओडिशा

11.सदस्य- सचिव

संयुक्त सचिव (फसल)

समिति के गठन संबंधी विषय

क. एम. एस. पी.

1. देश के किसानों के लिए एम. एस. पी. मिलने हेतु व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव।
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय।

3. कृषि विपणन पद्धति को सुदृढ़ करने की व्यवस्था ताकि देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाते हुए किसानों के लिए उनकी उपज के उच्च मूल्य हेतु लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जा सकें।

ख. **प्राकृतिक खेती**

1. किसान संस्थाओं को शामिल कर, मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल वैधीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए कार्यक्रम और योजनाओं पर सुझाव देना और सभी किसान संगठनों का साथ, प्रचार व योगदान।
2. अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों सहित कृषि विज्ञान केंद्र को ज्ञान केंद्र बनाने तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्राकृतिक खेती प्रणाली पाठ्यक्रम तथा कौशल की शुरूआत के लिए कार्यनीतियों पर सुझाव देना।
3. प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान हितैषी वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली और विपणन प्रणाली पर सुझाव देना।
4. प्राकृतिक खेती की मूल्य श्रृंखला विकास को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हेतु विधियों और माध्यमों पर सुझाव देना।
5. प्राकृतिक खेती से उत्पादित उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं की श्रृंखला।

ग. **फसल विविधीकरण**

1. उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की मौजूदा फसलन प्रणाली की मैपिंग।
2. देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार फसलन पद्धति में परिवर्तन के लिए विविधीकरण नीति व्यवस्था हेतु कार्यनीति।
3. कृषि विविधीकरण करने, नवीन फसलों की बिक्री हेतु लाभकारी मूल्य मिलने के लिए व्यवस्था।
4. सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा और सुझाव।

[फा. सं. 12/7/22-सं.स.]

शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव

*****